

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक---व-15 ख (3) अप.शा./विधि/2013/ 1454-94

दिनांक : 14-2-2014

पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।

समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।

समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर

समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय :— चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (रकूटनी) के संबंध में।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र संख्या 10707-57 दिनांक 16.12.2013 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में विशिष्ट शारान सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प-11 (16) गृह-10/2013 दिनांक 29.01.2014 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि एन.डी.पी.एस. एकट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलों में उप निदेशक अभियोजन एवं समस्त सैशन प्रकरणों के मामलों में सहायक नियंत्रण शामिल हारा चालान वाले प्रकरणों में चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (रकूटनी) कराया जाना एवं आदेश में अंकित अन्य प्रक्रिया/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सभी थानाधिकारियों को निर्दिशित करें कि वे आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पदरथापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करें।

संलग्न।—उपरोक्तनुसार

भवदीय,

(एस.एन. खींची)

पुलिस अधीक्षक,

(अन्वेषण),

सी.आई.डी.(सी.बी.), राज., जयपुर।

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक :- प.11(16)गृह-10/13

जयपुर, दिनांक - 29-1-14

—आदेश—

गृह (ग्रुप-10) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.11(16) गृह-10/13 दिनांक 02.12.2013 मेरा राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1(3) के प्रावधानों के अधीन यह निर्देशित किया गया था कि न्यायालयों मेरे कार्यरत अभियोजन अधिकारियों द्वारा पुलिस अनुसंधान के उपरान्त न्यायालय मेरे आरोप पत्र पेश करें। अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र पेश किए जाने से पूर्व आरोप पत्र की सूक्षमता से जाच/संवीक्षा करें एवं यह देखें कि मुलजिम पर प्रस्तावित आरोप सिद्ध किये जाने हेतु सभी दरक्तावेज या अन्य सुसंगत आरोप पत्र के साथ संलग्न हैं।

इस सम्बन्ध मेरे यह उक्त परिपत्र को आंशिक संबंधित कर इस प्रवार आदेशित किया जाता है कि—

- 4 FEB 2014
1. एन.डी.पी.एस. एकट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलों मेरे उप निदेशक अभियोजन द्वारा चालान वाले प्रकरणों मेरे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (रकूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् सक्षम पुलिस अधिकारी को पत्रावली आदेश हेतु भिजवा दी जावे।
2. समरत सेशन प्रकरणों के मामले मेरे सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा चालान वाले प्रकरणों मेरे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (रकूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् सक्षम पुलिस अधिकारी को पत्रावली आदेश हेतु भिजवा दी जावे।

उक्त आदेश 02.12.2013 की मंशा इस प्रकार स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1(3) के तहत समरत सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय चालान वाले प्रकरणों मेरे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (रकूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् वृत्ताधिकारी पुलिस के पास आतेहा हेतु भिजवा नी जाए।

इन सभी मामलों मेरे चालान पेश करने के संबंध मेरे वृत्ताधिकारी/पुलिस अधीकारक द्वारा थानाधिकारी को आदेशित करना चाहिए। पुलिस अधीकारक का ऐसा चालान आदेश का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(डॉ. पी. शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं अदरक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे आरोप पत्र संबंधित न्यायालय मेरे पदरथापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करें।
- समरत जिला पुलिस अधीकारक, राजस्थान, को उचित कार्यवाही हेतु।
- समरत उप निदेशक अभियोजन को भेजकर लेख है कि समरत सहायक निदेशक अभियोजन के द्वारा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
- सहायक निदेशक अभियोजन को भेजकर लेख है कि समरत अधीनरथ अभियोजन अधिकारियों को आदेश की प्राप्ति सुनिश्चित कर, 15 दिवस मेरे पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवावे।
- रक्षित पत्रावली।

१2 65
प्राप्त

(डॉ. पी. शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह